

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यूवे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03 -2019 -931(न्यूवे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2023 से जून 2023 के औसत अंक 386 पर दिनांक: 1-10-2023 से 31-3-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-386 पर दिनांक: 1-10-2023 से दिनांक: 31-03-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(386-216)

X5750= रू0-4525/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

कर्मोंक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक (कुल मजदूरी रू0 में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में दिनांक:1.10.2023 से 31.3.2024 तक	दिनांक:1.10.2023 से 31.3.2024 तक कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10089	4525	10275	395
2	अर्धकुशल	6325	11098	4978	11303	435
3	कुशल	7085	12432	5576	12661	487

2 ईट नददा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

कर्मोंक	श्रेणी	दिनांक:1.10.2023 से 31.3.2024 तक
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के कर्मोंक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा
2	कुशल	
		मूल मजदूरी परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में कुल मजदूरी(रूपये में)
		रू0-365 रू0-287 रूपया-652/- प्रति हजार
2	पथेरा	
	भराईवाला	रूपया-197/- प्रति हजार
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	रूपया-236/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	
		रूपया-197/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	
		रूपया-197/- प्रति हजार

- स्वर की विनिर्माणशाला और स्वर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिट्टान उद्योग।
- वास्तविक पंपो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- कलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयात पम्प।
- ढेरी और मिल्क ढेरी।
- सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बौध तटवन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त राजस्वीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- ग्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं ग्राइवेट क्लीनिकों और ग्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- टलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट रॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- घरों संवर्धनशाला और घर विनिर्माणशाला।
- घर वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और कर्मचर उद्योग।
- ग्राइवेट कोचिंग कक्षाओं ग्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
- सम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।

- 25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
 26 दुकानों में।
 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
 29 तेल मिल।
 30 लोक मीटर परिवहन।
 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
 32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संकियाओं।
 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
 35 धिकन के कार्य।
 36 दियासलाई उद्योग।
 37 आइसक्रीम/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
 41 लाण्डी और घुलाई अधिष्ठान।
 42 जिल्दसाजी।
 43 कोल्ड स्टोरेज।
 44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ़ैक्ट्रीज।
 45 निजी मुद्रणालय।
 46 सिनेमा उद्योग।
 47 कपड़ा छपाई।
 48 सिलाई उद्योग।
 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
 50 क्लब
 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
 54 खाण्डसारी।
 55 हथकरघा उद्योग।
 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
 57 छोटा(मिनिअवर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
 59 ईट भट्ठा उद्योग।
 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
 63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रातिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
 66 एलपीजी/विटरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 67 टैक्सीज, आटोरिक्षा/टैम्पो एवं ट्रेवलिंग अभिकरण में नियोजन।
 68 कंबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 69 गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
 71 हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
 73 काल सेन्टर/आईटी/इण्डस्ट्रीज/टेलीकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।
 संख्या 1013-20 प्रवर्तन-(एम०डब्ल्यू०)/15

दिनांक 29/9/2023

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- अनुसूचित, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिशाली निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त(आई०आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखाध्यक्ष प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)
 उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(अजय कुमार मिश्रा)
 उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

